

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(18)एमई/ग्रुप-1/85

जयपुर, दिनांक - 5 AUG 2020


आदेश

डॉ. शरद जैन, वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर जिनकी जन्म तिथि 20.04.1956 है, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण किये जाने पर दिनांक 30.04.2021 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. शरद जैन, वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. डॉ. जैन के विरुद्ध वर्तमान में एफ.आई.आर. संख्या 190/13 में अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है एवं प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।


आज्ञा से,

  
4/8/2020  
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. डॉ. शरद जैन, वरिष्ठ आचार्य, जनरल सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

  
4.8.20  
(रमेश चन्द्र आर्य)  
शासन उप सचिव